न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1069 सन 2026
CNR. No.UPSP010032352026

बाबर पुत्र बदर आलम, निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**
मुकदमा अपराध संख्या 334/2025
धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र</u>

19.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **<u>बाबर</u>** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 30.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ कौसर जहॉ पत्नी मौ0 बदर का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी शान मौहम्मद द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वह पेशे से ट्रक चालक है। दिनांक 26.05.2025 को वह अपना खाली ट्रक मुजफ्फरनगर से लेकर रायपुर बजरी लोड करने के लिए जा रहे था, जैसे की वह रात्रि में 10:30 बजे देवबंद के फ्लाई ओवर के बीचो–बीच पहुंचा तो वहां पर एक लडका और लडकी खडे थे, जिन्होंने वादी को रोकन के लिए हाथ दिया तो वादी ने मदद करने के लिए गाडी रोक ली तथा गाडी में बेठा कर लेकर चल दिया। जब वह ग्राम मेघराजपुर से पहले बडे खाली प्लॉट के पास पहुंचा तो अचानक से लडके और लडकी ने रोकने का इशारा किया तो वादी गाडी साइड में लगाकर उतारने लगा, तभी अचानक पीछे से एक लडके ने वादी को तमंचा दिखाकर उससे 7,500/–रूपये एवं एक मोबाईल फोन की लूट कर तीनो बाइक पर बैठकर देवबन्द की तरफ चले गए। वादी उन्हें पहचान गया था, इसलिए दो दिन देवबन्द में रूक कर जानकारी की तो उसे पता चला कि वह बाबर, फैसल एवं एक लडकी है, जिन्होंने मिलकर वादी के साथ लूट कारित की है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। पुलिस द्वारा प्रार्थी का झूठा चालान किया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी अन्य मुकदमों में जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 30.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एंव केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी से 7,500/–रूपये एवं मोबाईल फोन की लूट करने तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त लूट के 1200/–रूपये एवं मोबाईल फोन बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत

मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार दिनांक 29.05.2025 को पुलिस मुठभेड में आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार किए जाने पर उसके कब्जे से 1200/–रूपये एवं मोबाईल फोन बरामद होना दर्शित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त की कथित प्रकार से गिरफतारी एवं उसके कब्जे से कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। कथित घटना को कोई स्वतन्त्र साक्षी होना अभिकथित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 30.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य सभी मामलो में आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं को जमानत पर होने का कथन किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **बाबर** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं रहेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–19.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891